सम्पादकीय....

नीति मार्ग का सबब...

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समाज में अभाव, गरीबी और असमानता के चलते लोकतंत्र को अधिक दिन तक कायम नहीं रखा जा सकता है स्वाधीनता प्राप्श्चात् आम भारतवासियों की आकांक्षाओं को देश के संविधान में लिपिबद्ध कर उसे अंगीकृत कर लिया गया । जनता की इच्छा और अभिलाषा के अनुरूप शासन व्यवस्था चलाने के लिए संसदीय लोकतंत्र का ढांचा निर्मित कर जादेश प्राप्त सरकार को सार्वजनिक कोष के संचालन का दायित्व सौंपा गया है । व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई गई कि अपने अधिकार क्षेत्र के विषयों पर जनप्रतिनिधि विधानसभा, संसद में चर्चा कर ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे जनता की बुनियादी जरूरतें पूर्ण हों लोगों को सामाजिक न्यायमिले और समाज के सबसे अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति को भी अपने विकास का भरपूर अवसर मिले । उसे जीविका के लिए सत्त संघार्षशील रहने की स्थितियां समाप्त हों । समाज से अभाव, गरीबी और असमानता को दूर करना ही संसदीय लोकतंत्र का मूल मकसद रखा गया है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी स्वस्थ्य समाज के अंदर चन्द आदमियों में धन केन्द्रित हो जाना और लाखों का बेकार होना एक सामाजिक अपराध या रोग है जिसका इलाज अवश्य होनाचाहिए ।

संविधान निर्माताओं ने राज्य के लिए नीति के निदेशक तत्वों को भी लिपिबद्ध किया और यह व्यवस्था बनाई है कि ये निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे तथा विधि बनाने में उन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा (अनुच्छेद – 37) ।

राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं तथा उन्हें बहुत प्रचारित भी किया जाता है, किन्तु निर्वाचित होने के बाद सांसद एवं विधायकगण जब अपना दायित्व ग्रहण करते हैं तब देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखने और तदनुसार अपने कर्तव्यों का परिपालन करने की शपथ लेते हैं । इसका अर्थ यह है कि संविधान के अनुसार जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए एक सरकार के गठन का अलिखित समझौता होता है । जनप्रतिनिधियों का यह भी संवैधानिक दायित्व होता है कि सरकार के कार्य संविधान और कानूनों की सीमाओं और दिशा निर्देशों के अंतर्गत हो रहे हैं अथवा नहीं, इन पर सत्त निगरानी रखें । संविधान में सरकार को संविधान और कानून सम्मत आचरण हेतु निर्देश देने के लिए उच्च–न्यायलय और उच्चतम–न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार विधायिका को भी प्राप्त है । न्यायपालिका जहां नियम–कानून की सीमाओं में रहकर तथ्तान्वेषण करने और फैसले देने की अधिकारिता रखती है वहीं विधायिका कानून और संविधान को भी जन–अभिलाषाओं के अनुरूप बदल देने में सक्षम होती है । सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है । विधायिका ही जनता के कोष को खर्च करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को भी पास करती है; अर्थात् समाज से अभाव, गरीबी और असमानता दूर करने में विधायिका ही सक्षम है, बशर्ते की समस्या की तह में जाकर जनकल्याणकारी नीतियां बनाई जायें और उन पर ईमानदारी से अमल हो ।

सरकार के क्रियाकलापों, विधायी कार्यों की जानकारी जनता को देने के लिए राजपत्र प्रकाशित किए जाते हैं किन्तु दुर्भाग्य से उन्हें प्रायः कोई नहीं पढ़ता है । नीति – निर्माताओं और जन–साधारण के बीच नीतिगत मुद्दों पर सम्वाद् के लिये समर्पित संवैधानिक रूप से कोई माध्यम नहीं है । सहभागी लोकतंत्र की बजाय प्रतिनिधि तंत्र अपनाकर हमनें जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में जनभागीदारी का कोई स्थान नहीं रखा ।

अनेक समस्याएं नियम और कानून में थोड़े से बदलाव से सुलझ सकती है । बशर्ते कि समस्या की तह तक जाने वाली कोई मशीनरी हो । कानून या नीतियों को पारित करते समय यदि यह देखा जाए कि–राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के विरूद्ध तो वे नहीं है । इससे ही बहुत बदलाव आ सकता है । दुर्भाग्य से जिस संविधान के आधार पर हमारी शासन व्यवस्था टिकी है उस संविधान की समझ संबंधित जलोगों को होने बाबत कोई बंधनकारी प्रावधान नहीं बनाए गए है । ऐसी दशा में राज्य के अनेक कार्य संविधान विरोधी होते रहते हैं । जो इक्का–दुक्का प्रकरण उच्च–न्यायालय में जाते हैं उनका तो दुरूस्तीकरण जहो जाता है, अन्यथा जनसाधारण अपनी पीड़ा लेकर भटकता रहता है तथा सुनवाई के लिए ही बनाई गई इस व्यवस्था में यह कहने को मजबूर हो जाता है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती । हमारी शासन व्यवव्स्था के तीनों स्तम्भ–कार्यपालिक, विधायिका और न्यायपालिका जन समस्याओं के मामलों में स्वयमेव ढंग से समन्वय के साथ कार्य करने की बजाय तटस्थता का रूख लेकर चलती है इसलिए समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकलता ।

''नीति–मार्ग'' के प्रकाशन के पीछे उद्देश्य यह है कि जनता की तकलीफों का यदि कोई नीतिगत निदान हो तो उन्हें नीति निर्माताओं के समक्ष रखा जाए । संविधान में दिए गए राज्य के लिए नीति के निदेशक तत्व ही ''नीतिमार्ग'' हैं । हमारी कोशिश है कि संविधान के तहत जन–सुनवाई के लिए निर्मित संस्थायें जनता की बुनियादी जरूरतों और समस्याओं को कारगर ढंग से पूरा करें और उनका निदान करने लगे ताकि लोकतंत्र कायम रह सके ।

जयन्त वर्मा
प्रधान सम्पादक
20 से 26 मार्च 1999